कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
तहसील डोईवाला

पत्रांक 1558 वाद सं0–एल–0075/एस–माजरीग्रांट/2026 दिनांक–21/09/26

श्री राजेश पन्त व अन्य/भू–स्वामी
फतेहपुर, माजरीग्रांट, देहरादून

विपक्षी श्री राजेश पन्त व अन्य/भू–स्वामी फतेहपुर, माजरीग्रांट, देहरादून द्वारा स्थल पर बिना तलपट मानचित्र के स्थल पर लगभग 13 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग हेतु प्लॉटों एवं सडक का चिन्हीकरण का कार्य किये जाने के कारण विपक्षी के विरूद प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23.04.2026 को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये वाद सं–एल–0075/एस–माजरीग्रांट/2026 योजित किया गया था। सुनवाई हेतु दिनांक 29.04.2026 नियत की गयी उक्त तिथि पर विपक्षी वाद पैरवी अनुपस्थित रहे। प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कराया गया अभियन्ताओ की आख्यानुसार विपक्षी द्वारा स्थल पर प्लॉटिग सडक का चिन्हीकरण का कार्य के सम्बधं कोई भी स्वीकृत/शमनित तलपट मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया हैं। पुनः कार्यालय पत्र 1190 दिनांक 18.06.2026 को ध्वस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दिनांक 24.06.2026 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गयी उक्त तिथि को विपक्षी अनुपस्थित रहें। जानबुझकर वाद को लम्बित रखना चाहते है। जोकि न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवरण सुनवाई के अवसर प्रदान करने व उपलब्ध अभिलेखों एवं अभियन्तागण की आख्या के अध्ययन के आधार पर एवं धारा 27 (1) के प्राविधानों के अनुसार आपके द्वारा स्थल पर किये गये समस्त अवैध निर्माण विकास कार्य के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत है। अत एव निम्न आदेश पारित किया जाते हैः–

आदेश

विपक्षी श्री राजेश पन्त व अन्य/भू–स्वामी फतेहपुर, माजरीग्रांट, देहरादून द्वारा स्थल पर बिना तलपट मानचित्र के स्थल पर लगभग 13 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग हेतु प्लॉटों एवं सडक का चिन्हीकरण का कार्य किये जाने के कारण विपक्षी के विरूद प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23.04.2026 को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किये जाने के कारण ध्वस्तीकरण करने के आदेश पारित किये जाते है। अतः विपक्षी पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्थल पर बिना अनुमति प्राप्त किये गये समस्त अनाधिकृत भू–विभाजन निर्माण/विकास कार्य को ध्वस्त करना सुनिश्चित करें. अन्यथा भू–विभाजन निर्माण/विकास कार्य को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया जायेगा जिस पर होने वाला समस्त व्यय आपसे भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
डोईवाला, देहरादून।

प्रतिलिपिः– आई.टी. अनुभाग को सूचनार्थ ।

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
डोईवाला, देहरादून।